न्यायालय–श्रीमान् अनिल कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, कटंगी, जिला–बालाघाट (म0प्र0)

(आप.प्रकरण.क.–489 / 12)
(संस्थित दिनांक–30.07.12)

म.प्र.शासन द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी, कटंगी
सामान्य परिक्षेत्र दक्षिण वनमण्डल, बालाघाट
....................परिवादी

// विरूद्ध //

1. नितेश वल्द सुद्धुलाल गोंड, उम्र 26 वर्ष,
2. चैनसिंह वल्द कपूरचंद गोंड, उम्र 35 वर्ष,
3. मनोहर वल्द जयसिंह गोंड, उम्र 25 वर्ष,
4. कमलसिंह वल्द नागो गोंड, उम्र 35 वर्ष,
5. कन्चू वल्द सुबेलाल गोंड, उम्र 30 वर्ष,
6. गुलाब वल्द सुबेलाल गोंड, उम्र 35 वर्ष,

सभी निवासी–ग्राम जमुनिया थाना कटंगी,
जि़ला बालाघाट म.प्र.।
....................अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 02 / 01 / 2015 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरूद्ध धारा का आरोप इस आशय का है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक 04.07.2012 को वन परिक्षेत्र कटंगी के अंतर्गत जमुनिया बीट के कक्ष कमांक 755 में वन्य प्राणी का शिकार करने के आशय से जीआई तार फैलाकर शिकार किये।

2. संक्षेप में परिवाद है कि घटना दिनांक 04.07.2012 को शाम पांच बजे बीटगार्ड वनरक्षक जमुनिया को वन गस्ती के दौरान नितेश एवं अन्य पांच व्यक्ति मौके पर शिकार हेतु जी.आई तार कक्ष कमांक 755 में लगाते हुये मौके पर पकड़े गये, मौके पर पर जी.आई.तार 12 बंडल लगभग 08 किलोग्राम जप्त कर प्रकरण कमांक 164 / 4078 दिनांक 04.07.2012 वनरक्षक सतीश उइके द्वारा पंजीबद्ध किया

A 2/1/15
अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कटंगी
जिला बालाघाट

जिला–बालाघाट

गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा तथा कक्ष कमांक 755 का नक्शा तैयार किया गया। आरोपीयों द्वारा कक्ष कमांक 755 जमुनिया बीट में शिकार के उददेश्य से जी.आई तार लगाना स्वीकार किया गया। आरोपीगण से पूछताछ कर बयान लिये गये और शेष विवेचना उपरांत अधिकृत अधिकारी श्री एम.पी.शुक्ला परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा यह परिवाद पत्र पेश किया गया ।

3. प्रथम दृष्ट्या अपराध पाये जाने पर विधिवत् आरोप बताये जाने पर आरोपीगण ने अपराध अस्वीक़ार किया और अभियुक्त परीक्षण के दौरान व्यक्त किया हैं कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फसाया गया है ।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न हैं कि :–

1. **क्या घटना दिनांक को आरोपीगण ने आरक्षित वन क्षेत्र में वन्य प्राणी का शिकार किये ?**

{ <u>विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का सकारण निष्कर्ष</u> }

5. परिवादी साक्षी धनलाल वनरक्षक (अ.सा.1) के इस संबंध में कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है सभी ग्राम जमुनिया के निवासी है। घटना दिनांक 03.07.2012 को वह कोडमी बीटगार्ड के पद पदस्थ था। रात्रि के करीब 12 बजे उसे जमुनिया बीट गार्ड सतीश उइके ने फोन पर सूचना दिया था कि मुखबीर से सूचना मिली कि कक्ष कमांक 755 में अवैध शिकार के लिए तार और फंदा बिछाया गया था। वह सतीश उइके, ब्रजलाल, शांतिलाल के साथ मौके पर पहूंच गये और गस्ती करते रहे। दिनांक 04.07.2012 को सुबह लगभग 3–4 बजे के मध्य कुछ लोगों की आहट सुनाई दी तब ये लोग छुपते छपाते आहत वाले स्थान गये थे। घटना स्थल के पास पहूंचे तो आरोपीगण उन्हें देखकर भागने लगें, तब घेराबंदी कर आरोपी नितेश को पकड़ लिये शेष आरोपीगण मौके से भाग गये थे। नितेश से पूछताछ किये तब नितेश नें बतलाया कि जंगली सुअर का शिकार करने के लिए तार का फंदा लगाये। इसलिए बाकी लोग भाग गये। आरोपीगण ने घटना स्थल पर लगभग पांच मीटर के अंतराल पर 1 1/2 इंच बडी खुटियॉ लगाकर खेतों से गुजरने वाले 11 के.बी. के पोल से करेंट बिछाया गया था। तब खंबे से करेंट कनेक्श निकाले और नितेश ने अपने अन्य पांचों साथियों का नाम बताया था। फिर घटना की सूचना वन परिक्षेत्र सहायक मुंडीवाडा को दिये। मौके पर ही घटना स्थल का पंचनामा तैयार किया था। पंचनामा प्रदर्श पी–01 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी नितेश से पूछताछ में बताया गये अन्य आरोपीगण को गिरफतार कर पूछताछ करने पर सभी आरोपीगण ने स्वीकार किये कि उन्होंने जंगली में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए फंदा लगाये थे।

A 2/11/15
अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कटंगी
जिला बालाघाट

मौके पर ही बीट गार्ड सतीश उइके ने आरोपीगणों से लगभगआठ किलो जी.आई तार के बंडल व बास की खुटियां और टायर के टुकड़े जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—02 एवं प्रदर्श पी—03 तैयार किये थे। उनके अ से अ भाग पर उसके हस्ता. है। उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफतार किया गया था। गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी—04 के अ से अ भाग पर उसके हस्ता. है। घटना के संबंध में उसके बयान प्रदर्श पी—5 सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी ने उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ता. है। मौके पर ही आरोपीगण के साथ उनका फोटोग्रफ लिया गया था। फोटोग्राफ आर्टिकल के—01 है।

6. परिवादी साक्षी ब्रजलाल (अ.सा.2) के इस संबंध में कथन है कि वह आरोपी नितेश, चैनसिंह, मनोहर, कमलसिंग, पंचू, गुलाब को जानता है, ग्राम जमुनिया के रहने वाले हैं। घटना दिनांक 03.07.2012 एवं 04.07.2012 के मध्य रात्रि की है। सुबह के लगभग चार बजे थे वह घटना के समय बीट गार्ड धनलाल के साथा जमुनिया के कक्ष कमांक 755 में गस्ती कर रहा था। गस्ती के दौरान जंगल में आरोपीगण उन्हें देखकर भागने लगे। घेराबंदी कर आरोपी नितेश पकड़ में आया बाकी साथी भाग गये थे। पूछताछ के दौरान नितेश ने बताया कि जंगली जानवर मारने के लिए तार बिछाये हैं। मौके पर देखे तो बांस की खुटी में जी.आई. तार का फंदा लगाये थे और उस तारन में खेत में लगे बिजली क खंबे से करेंट दिये थे। मौके पर वह धनलाल, शांतिलाल एवं बीटगार्ड सतीश उइके थे। घटना स्थल पर सतीश उइके ने पंचनामा प्रदर्श पी—01 तैयार किये थे। जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ता. है। आरोपी नितेश ने गॉव में कार्यवाही के दौरान अपने बाकी साथियों को बुलाया था। बीट गार्ड सतीश उईके ने उसके समक्ष आरोपीगणों से तार की जप्ती किये थे। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—02 एवं प्रदर्श पी—03 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

7. परिवादी साक्षी सतीश उइके वन रक्षक (अ.सा.5) के इस संबंध में कथन है कि घटना दिनांक 03.07.2012 के रात्रि के समय वह जमुनिया बीट पर वन रक्षक के पद पर पदस्थ होकर बीटगार्ड रंगलाल एवं सुरक्षा श्रमिक ब्रजलाल, धनलाल के साथ गस्ती कर रहा था। गस्ती के दौरान कक्ष कमांक 755 में करीब 3—4 बजे सुबह तीन चार लोग दिखे, जो उन्हें देखकर भागने लगे उनमें से एक व्यक्ति आरोपी नितेश पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर उसने शेष आरोपीगण के नाम बताया था और बताया कि जंगल में उसने शेष आरोपीगण के साथ मिलकर तार विछाया था जिससे जंगली सुअर को पड़क सके। तब उसने बताये अनुसार स्थान मौके पर गया और खुंटियों में लगे हुये जीआई तार निकालकर इकटठा किया और उन्हें जप्त किया जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—02 के द से

9/11/15
अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि प्रथम श्रेणी कटंगी
जिला बालाघाट

सत्यमेव जयते
जिला बालाघाट

द भाग पर उसके हस्ताखर है। उसके बाद घटना की सूचना उसने परिक्षेत्र सहायक गर्दे साहब को दिया और वे मौके पर आये। तब आगे की जॉच कार्यवाही उनके द्वारा की गई थी। उसके बयान भी गर्दे साहब ने लिये थे जो प्रदर्श पी—14 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ता. है।

8. परिवादी साक्षी शांतिलाल (अ.सा.3) के इस संबंध में कथन है कि वह हाजिर अदालत आरोपीगण को चहेरे से पहचानता है। आरोपी नितेश को भी पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पहले की हैं। घटना के समय वह ब्रजलाल, बीटगार्ड कंगाली के कसाथ जमुनिया बीट के कक्ष कमांक 755 पर गश्ती पर था। रात्रि के लगभग दो तीन बजे कक्ष कमांक 755 में कुछ लोगों ने जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बारीक वाले तार बिछाये हुये थे और उन तारों को खेत में लगे हुये बिजली के खंबे से करेंट दिये थे। शिकार करने वाले कुछ 06 लोग थे। मौके पर नितेश पकड़ाया था और रात्रि होने के कारण उसके बाकी साथी भाग गये। कंगाली साहब ने मौके पर आरोपी नितेश से जानवरों को फंदा लगने वाला तार, जप्त किये थें। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—02 एवं 03 के स से स भा गपर उसके हस्ता. है। घटना के दो दिन बाद नितेश के साथियों को जब गिरफतार किये थे तब रेंज आफिस में आरोपीगणों के साथ फोटो लिये थे। घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की गई।

9. परिवादी साक्षी ढालसिंह गर्दे (अ.सा.4) के इस संबंध में कथन है कि घटना दिनांक 04.07.2012 की है। घटना के समय वह परिक्षेत्र सहायक मुंडीवाडा में पदस्थ था। सिपाहियों द्वारा आरोपीगण को वन्य प्राणी का शिकार करते हुये पकड गया था। जिसकी सूचना मिलने पर वह मौके पर ग्राम जमुनिया गया था जहां उसने देखा कि खुटी गाड़कर जीआई तार बिछाई हुई थी। जिसके संबंध में उपस्थित साक्षियों के समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी—01 उसके द्वारा बनाया गया था। जिसके स से स भाग पर उसके हस्ता. है। आरोपीगण से पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किया था जो कमशः प्रदर्श पी—07 लगायत प्रदर्श पी—12 है प्रत्येक के अ से अ भाग पर उसके हस्ता. है। आरोपीगण ने पूछताछ में बताये थे कि सभी ने मिलकर जंगली सुअर को पकड़ने के लिए जीआई तार खुटियों के सहारे फंदा बनाकर बिछाये थे और विद्युत पोल से जोड़कर घर चले गये थे ताकि विद्युत प्रवाह में आने से जंगली सुअर मर सके। विवेचना के दौरान गवाह ब्रजलाल का कथन प्रदर्श पी—13 लेखबद्ध किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ता. है। गवाह शांतिलाल के कथन प्रदर्श पी—06 लेखबद्ध किया था जिसके स से स भाग पर उसके हस्ता. है। गवाह सतीश उइके के बयान प्रदर्श पी—05 लेखबद्ध किया था जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह सतीश के बयान प्रदर्श पी—14 लेखबद्ध किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपीगण से जप्त की गई सामग्री की फोटोग्राफस फोटोग्राफर कटंगील द्वारा ली गई थी।

अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कटंगी
जिला बालाघाट

फोटोग्राफस आर्टिकल—01 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

10. आरोपीगण की ओर से तर्क किये गये हैं कि मौके से किसी भी आरोपीगण को पकड़ा नहीं गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने आरोपीगण को तार फैलाते नहीं देखे हैं। आरोपी नितेश को उसके खेत से पकड़ा गया है और साक्षियों ने दस्तावेजों में हस्ताक्षर मौके पर नहीं अपितु ऑफिस में करना स्वीकार किये हैं। इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता। इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जाये।

11. परिवादी साक्षी ब्रजलाल, धनलाल, शांतिलाल और सतीश उइके मौके के स्वाभाविक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। क्योंकि वे घटना के समय मौका स्थान जमुनिया कक्ष कमांक 755 गश्ती कर रहे थे और वे सभी वन विभाग के कर्मचारी है। चुंकि घटना का समय मध्य रात्रि का है, इसलिए मौके पर आसपास के गॉव के या स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं है। इसलिए मौके के इन चारों साक्षियों के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। उनके प्रतिपरीक्षा में इस बिन्दु पर कथन अखण्डित है कि मौका स्थान पर जीआई तार का फंदा बांस की खुटी के माध्यम से लगाया गया था जिसे मौके पर उन्होंने जप्त किये थे। यद्यपि मौका पंचनामा, जप्ती पंचनामा इत्यादि कहां बनाया गया था और उस पर हस्ताक्षर कहाँ किये गये थे यह महत्वहीन है। क्योंकि वे सभी पुष्टिकारक साक्ष्य है। मूल साक्ष्य साक्ष्य यह है कि मौके पर चारों साक्षियों ने कुछ लोगों को देखे थे जो उन्हें देखकर भाग रहे थे ओर उन भागते हुये व्यक्तियों में से आरोपी नितेश को साक्षियों ने पकड़ लिये थे। किन्तु शेष भागे हुये व्यक्तियों को साक्षियों ने न तो मौके पर देखे थे और ना ही उन्हें पकड़ा गया था।

12. यह सही है कि परिवादी साक्षी धनलाल, सतीश उइके और शांतिलाल ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किये हैं कि आरोपी नितेश को उसके खेत में पकड़े थे। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किये हैं कि आरोपी नितेश का खेत जमुनिया के जंगल से लगा हुआ है और घटना के समय कृषक उनके खेत में रात्रि में रखवाली के लिए जाते हैं। उपरोक्त स्वीकृति से यद्यपि यह विश्वास योग्य है कि आरोपी नितेश भी उसके खेत में रात्रि के समय रखवाली के लिए गया था। किन्तु महत्वपूर्ण यह है कि आरोपी नितेश को उसके खेत में उस समय पकड़ा गया है जब मौकास्थान कक्ष कमांक 755 से कुछ व्यक्ति भाग रहे थे और भागते हुये व्यक्तियों में से आरोपी नितेश को भी साक्षियों ने उसके खेत में जाकर पकड़े हैं। इसलिए यह प्रतिरक्षा विश्वसनीय नहीं है कि आरोपी नितेश घटना के समय मौके पर नहीं था। अपितु उसके खेत में रखवाली कर रहा था। साक्षी धनलाल (अ.सा.1) और शांतिलाल (अ.सा.3) ने भी स्पष्ट किये हैं कि आरोपी नितेश को घेराबंदी कर भागते हुये पकड़ा था। इसलिए आरोपी नितेश के संबंध में यह प्रमाणित होता है कि

A 9/11/15

अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कटंगी
जिला बालाघाट

घटना के समय वह मौके पर अर्थात आरक्षित वन क्षेत्र जमुनिया के कक्ष कमांक 755 में रात्रि के समय उपस्थित था और उसी स्थान पर जीआई तार का फंदा बांस की खुटी के माध्यम से लगाया गया था जिससे कि वन्य प्राणी को फसाया जा सके और उनका शिकार किया जा सके। यद्यपि उपरोक्त कृत्य में आरोपी नितेश के साथ अन्य व्यक्ति भी शामील थे। किन्तु उन शेष व्यक्तियों या आरोपीगण के विरूद्ध अभिलेख में कोई भी साक्ष्य नहीं है। मात्र आरोपी नितेश की स्वीकृति के आधार पर शेष आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। क्योंकि शेष आरोपीगण को मौके के किसी भी साक्षी ने देखा नहीं था और ना ही वे मौकास्थान से भागते हुये पकड़े गये थे। यद्यपि शेष आरोपीगण की संस्वीकृति कथन ढालसिंह गर्दे तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक मुंडीवाडा द्वारा लेखबद्ध किये गये हैं। किन्तु उपरोक्त कथन भी किसी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष लेखबद्ध नहीं किये गये हैं। मात्र उसने आरोपीगण के हस्ताक्षर होना प्रमाणित होता है और उपरोक्त संस्वीकृति के आधार पर ही शेष आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। आरोपी नितेश का यह कृत्य प्रमाणित हुआ है कि उसने अन्य व्यक्तियों के साथ आरक्षित वन क्षेत्र जमुनिया बीट कक्षा कमांक 755 में वन्य प्राणी का शिकार करने के लिए जीआई तार लगाकर फंदा बनाया था। उपरोक्त कृत्य धारा 51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। **इसलिए आरोपी नितेश को धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। शेष आरोपीगण को संदेह का देकर दोषमुक्त किया जाता है।**

13. दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

A—

अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी
कटंगी, जिला बालाघाट

14. दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व कोई दोषसिद्धि नहीं है, वह प्रथम अपराधी है और उसका कृत्य धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रथम पद के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अंतर्गत आता है। जिसमें दो वर्ष तक के कारावास की सजा और दो हजार रूपये अर्थदण्ड का प्रावधान है। आरोपी नितेश की आयु चरित्र और अपराध की प्रकृति को देखते हुये उपरोक्त अपराध में **आरोपी नितेश को एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिकम में आरोपी को तीन माह का कारावास प्रथक से भुगताया जाये।

15. आरोपी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भोगी गई कारावास की अवधि को सजा की अवधि में समायोजित की जावे।

A 2/1/15

अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कटंगी
जिला बालाघाट

16. प्रकरण में जप्त सम्पत्ति मुल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

17. आरोपी के जमानत एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(अनिल कुमार साहू)
न्या0मजि0 प्रथम श्रेणी,कटंगी,
जिला–बालाघाट (म0प्र0)
दिनांक– / /2015

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अनिल कुमार साहू)
न्या0मजि0प्रथम श्रेणी,कटंगी,
जिला–बालाघाट (म0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत
आदेशानुसार प्रवृत एवं प्रमाणित।
6/1/15
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि उप-विभाग-कटंगी

आवेदन पत्र प्राप्त का दिनांक 06/1/15
आवेदक की उपस्थिति हेतु दी गई दिनांक 12/1/15
आवेदक के उपस्थित होने की दिनांक 06/1/15
आवेदन पत्र (और भी स्पष्ट सही विवरणों सहित या रहित)
अभिलेखागार को भेजने की दिनांक 06/1/15
आवेदन पत्र के अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ या और भी स्पष्ट सही विवरणों के लिए बगैर अभिलेख के) प्राप्त होने की दिनांक 06/1/15
आवेदक को और भी स्पष्ट सही विवरण देने की सूचना की दिनांक ....
आवेदक को और धन जमा करने की सूचना देने की दिनांक ....
स्तम्भ (6) या (7) की सूचना के पालन की दिनांक ......
प्रतिलिपि तैयारी की दिनांक 06/1/15
प्रतिलिपि देने या भेजने की दिनांक 06/1/15
वसूल की गई न्याय शुल्क ....

अधिकारी 6/1/15 मिलानकर्ता प्रमुख प्रतिलिपिक

अनिल कुमार साहू
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कटंगी
जिला बालाघाट

प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि–उप–विभाग–कटंगी

न्यायालय –मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बालाघाट म0प्र0
(पीठासीन अधिकारी–कृष्णदास महार)

आपराधिक प्रकरण कमांक 1339/2008
संस्थित दिनांक 24.07.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
वनपरिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट (सा.)
जिला–बालाघाट———————————— **अभियोजन**

........//विरूद्ध//.........

1– राधेलाल वल्द बाबूलाल, उम्र 50 वर्ष ।
2– टिल्लू वल्द सदद्दू, उम्र 37 वर्ष ।
3– शिवानन्द वल्द गणेश, उम्र 30 वर्ष ।
4– धरम वल्द टेकसिंह, उम्र 35 वर्ष ।
5– सुमेरसिंह वल्द बुम्बे, उम्र 40 वर्ष ।
6– धरम उर्फ भूरिया पिता सोमजी, उम्र 30 वर्ष ....(मृत)
7– बिसन वल्द जौहरी, उम्र 55 वर्ष ।
8– रामलाल वल्द रामू, उम्र 22 वर्ष ।
9– रूपचंद वल्द गजरू, उम्र 45 वर्ष ।
10– किसनलाल वल्द अमरसिंह, उम्र 33 वर्ष ।
11– ज्ञानचंद वल्द मशाराम, उम्र 30 वर्ष ।

सभी निवासी ग्राम औदा, थाना भरवेली,
जिला बालाघाट । **अभियुक्तगण**

------//निर्णय//------
(आज दिनांक 29.01.2015 को घोषित)

1– आरोपी राधेलाल, टिल्लू, शिवानन्द, धरम, सुमेरसिंह, बिसन, रामलाल, रूपचंद, किसनलाल एवं ज्ञानचंद के विरूद्ध धारा 9 एवं धारा 39(3) का उल्लंघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत यह अपराध आरोपित है कि दिनांक 14.04.2008 को शाम करीब 7.00 बजे वन कक्ष क्रमांक 154 रानी झुलना नाला वन परिक्षेत्र बालाघाट (सामान्य) के अन्तर्गत धनसुआ बीट में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशु मादा सांभर का अवैध रूप से शिकार किया तथा पशु सांभर जो कि शासकीय सम्पत्ति है, का मॉस इस हेतु सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखा एवं उसे पकाकर खाया ।

2– प्रकरण मे यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी

(कृष्णदास महार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालाघाट

धरम उर्फ भूरिया की मृत्यु हो चुकी है. इसलिए शेष आरोपीगण के विरूद्ध विचारण किया जाकर निर्णय दिया जा रहा है ।

3– संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.2008 को धनसुआ बीट के वन रक्षक टी.के. बिसेन एवं भगवतीप्रसाद शुक्ला को सूचना प्राप्त हुई कि शासकीय वन कक्ष क्रमांक 154 रानी झुलना नाले मे वन्यप्राणी मादा साम्भर का शिकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर वे लोग मय स्टाफ के घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल की घेराबंदी कर व दबिश देकर घटना से संबंधित आरोपी राधेलाल वल्द बाबूलाल, जाति गोंड, साकिन ओदा को रात्रि में लगभग 9.30 बजे घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक सीमेंट बोरी के थैले में साम्भर के मांस सहित पकड़ा गया तथा शेष आरोपीगण मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गये । आरोपी राधेलाल को पूछने पर उसने बताया कि वह अन्य आरोपीगण के साथ एक राय होकर घटना दिनांक 14.04.08 को शाम लगभग 7.00 बजे शासकीय वन कक्ष क्रमांक 154 रानी झुलना नाले मे वन्यप्राणी मादा साभर को लकडी, कुल्हाडी, फरसा एवं कुत्तो की सहायता से घेराबंदी कर दौड़ा–दौड़ाकर मारकर शिकार किये एवं उसके मांस को काट–काटकर आपस में बंटवारा कर लिये थे । दिनांक 15.04.08 को आरोपी टिल्लू, धरम एवं शियानंद मिले थे । आरोपी टिल्लू वल्द सदद्, जाति गोंड, साकिन ओदा से 2 किलो सांभर का मांस जप्त किया गया तथा आरोपी धरम वल्द टेकसिंह एवं शिवानंद, निवासी ग्राम ओदा ने साभर को मारकर मांस पकाकर खाना बताया था तथा शेष आरोपीगण अपने निवास से फरार पाये गये थें । मॉस तथा अन्य सामानों की जप्ती की गई व पी.ओ.आर. क्रमांक 124/3092 काटा गया । घटना से संबंधित सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही किये जाने के उपरांत एन.एस. बघेल, वनक्षेत्रपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16) (अ), (ब), (स), 9, 10, 39, (1)(ब) 50,51,52 के तहत आरोपीगण के विरूद्ध परिवाद पत्र इस न्यायालय मे पेश किया गया ।

4– आरोपीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 9 एवं धारा 39(3) का उल्लघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह आरोप पत्र विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध किया

जाना अस्वीकार किया और विचारण चाहा । धारा 313 द०प्र०स० के अन्तर्गत अभियुक्तों का परीक्षण किया गया । अभियुक्तों ने बचाव में साक्ष्य न देना व्यक्त किया ।

5— मेरे समक्ष विचारणीय बिन्दु है कि :—

(1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.04.2008 को शाम करीब 7.00 बजे वन कक्ष कमांक 154 रानी झूलना नाला वन परिक्षेत्र बालाघाट (सामान्य) के अन्तर्गत धनसुआ बीट मे वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट पशु मादा साभर का अवैध रूप से शिकार किया ?

(2) क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वन्यप्राणी साभर जो कि शासकीय सम्पत्ति है का मांस सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे मे रखा एवं उसे पकाकर खाया ?

----//निष्कर्ष एवं उनके आधार//----

6— टी.के. बिसेन (प०सा० 1) का कथन है कि वह दिनांक 14.04.2008 को वह गश्ती मे था तब रात्रि करीब 8.30 बजे उसे मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि कक्ष कमांक 154 रानी झूलना नाला ओदा पनघट के तरफ वन्यप्राणी का अवैध शिकार हुआ है । उसने संबधित बीटगार्ड बी.टी. शुक्ला वनरक्षक धनसुआ को फोन द्वारा इसकी सूचना देकर तत्काल मौके पर पहुँचने हेतु कहा । वह और उसका सुरक्षा श्रमिक सेवक वल्द महतर गोंड रानी झूलना नाला के तरफ घेराबंदी किये । कुछ देर बाद बीटगार्ड धनसुआ दो आदमियो सहित मौके पर पहुचे थे तथा मौके पर पहुँचकर घेराबंदी कर रात्रि लगभग 9.30 बजे एक आदमी जंगल की ओर से आता दिखा तब उन लोगो ने घेराबंदी कर पकडकर पूछताछ किये तो उसने अपना नाम राधेलाल बताया एवं हाथ मे रखे थैला मे रखे सामान के बारे मे पूछताछ करने पर उसने बताया कि थैले मे सांभर का मांस है तब थैला खोलकर देखने पर पाया गया कि थैले के अंदर साभर का मांस एवं लोहे का चाकू और एक कुल्हाड़ी है । उसने आरोपी राधेलाल, शिवानंद, धरम वल्द टेकसिंह, धरम वल्द भूरिया, बिसनसिंह, रामलाल, रूपचंद, किसनचंद के बयान उनके बताये अनुसार लिया था ।

7— भगवतीप्रसाद (प०सा० 2) का कथन है कि वह दिनांक 14.04.2008 को धनसुआ बीट मे वन रक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को रात्रि करीब 8.00 बजे बीटगार्ड टी.के. बिसेन द्वारा फोन से धनसुआ से सूचना दी गई कि ओदा कक्ष कमांक 114 मे पुरानी झूलना नाला के किनारे एक साभर का शिकार हुआ है ।

S 9-1-15
(कृष्ण दास महार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालाघाट

C 10/-
7-2-15

वह भरत एवं बारेलाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा और वहाँ घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति आरोपी राधेलाल मिला, उसको रोककर पूछताछ करने पर उसके पास सीमेंट बोरी का झोला था जिसको देखने पर उसमे साभर का मास व फरसा कुल्हाड़ी मिली थी । पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा जंगल से साभर का शिकार कर उक्त मास लाया गया है । उसने बताया था कि वह अन्य 11 लोगो के साथ मिलकर साभर का शिकार किया है । पूछने पर उसने नाम धरम, किसन शिवानद, बिसन, ज्ञानचंद, सुमेरसिंह, रामलाल, रूपचंद, टिल्लू, धरम उर्फ भूरिया बताया था । उक्त घटना की सूचना उच्चाधिकारियो को दी गई थी । मौके का पचनामा बनाया गया था । उक्त पंचनामा कार्यवाही गवाहो के समक्ष की गई थी । पचनामा प्रदर्श पी–2 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा दिनांक 14.04.2008 को घटनास्थल पर आरोपी राधेलाल से प्लास्टिक की बोरी मे करीब तीन किलो साभर का मांस, फर्सा तथा कुल्हाड़ी खून से रगी हुई गवाहों के समक्ष जप्त किया था । जप्ती प्रदर्श पी–3 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसके द्वारा प्रदर्श पी–4 का पी.ओ.आर. साक्षी सेवकराम और भरतलाल के समक्ष जारी किया था । घटना के दूसरे दिन आरोपी राधेलाल को पकड़कर ले गये थे तथा टिल्लू को दूसरे दिन पकड़े थे तो टिल्लू ने ग्राम ओदा मे उक्त साभर का शिकार करना स्वीकार किया था तथा उसके द्वारा पेश करने पर कटा हुआ मास तथा साभर के पैर का मांस सहित उसके द्वारा गवाहो के समक्ष पेश करने पर जप्त किया था, जप्ती पत्र प्रदर्श पी–5 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब भाग पर आरोपी टिल्लू ने निशानी अगूठा किया था । उपरोक्त आरोपियो से जप्त किये गये मास, बोरी, फर्सा व कुल्हाड़ी को उसने सुपुर्दनामा पर लिया था ।

8– भरतलाल (प0सा0 03) का कथन है कि वह आरोपीगण को चेहरे से जानता है । वह आरोपी टिल्लू पिता सददू और धरम उर्फ भूरिया को नही जानता । करीब डेढ साल पहले की बात है भगवतीप्रसाद शुक्ला द्वारा रेंज आफिस बालाघाट मे उसे बुलवाया गया था और मटन के बारे में बताया गया था । वे लोग वन समिति के सदस्य है । उसके समक्ष आरोपी राधेलाल से साभर का मास, खून लगा फर्सा तथा कुल्हाड़ी जप्त नही की गई थी । उसके समक्ष पी.ओ.आर. जारी नही किया गया था ।

उसके समक्ष रानी झुलना नाला के किनार वन विभाग के कर्मचारी द्वारा कोई पचनामा नही बनाया गया था । इस साक्षी ने मौका पचनामा प्रदर्श पी–1 एवं प्रदर्श पी–2, जप्ती पचनामा प्रदर्श पी–3, गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी–6 एवं तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–7 उसके समक्ष नहीं बनाया जाना बताया है लेकिन उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । इस साक्षी ने उसके समक्ष आरोपीगण के कथन प्रदर्श पी–8 पी–9, पी–10, पी–11 एवं प्रदर्श पी–12 नहीं लिया जाना बताया है लेकिन उक्त कथन पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । इस साक्षी ने घटना के संबंध मे उसके समक्ष कोई कार्यवाही नही होना बताया है । इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद भी इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है । सेवकराम (प0सा0 4) एवं बारेलाल (प0सा0 6) का कथन है कि घटना के संबंध मे उन्हें कोई जानकारी नही है, उनके समक्ष वन विभाग वालों द्वारा आरोपीगण के संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । उक्त दोनो साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद भी इन साक्षियो ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नही किया है ।

6. श्रवणलाल पटले (प0सा0 05) का कथन है कि वह दिनांक 15.04.2008 को उड़नदस्ता दल मे दक्षिण वन मण्डल बालाघाट मे वनपाल के पद पर कार्यरत था । उसी दिनाक को उड़नदस्ता दल के अधिकारी परिहार ने साक्षी सेवकराम, भरतलाल, बारेलाल, तोपेन्द्र और भगवती के समक्ष आरोपी राधेलाल, बिसन, धरम, रूपचद, रामलाल, शिवानंद, किशन, सुमरसिंह, धरम उर्फ भूरिया एवं ज्ञानचंद से आरोपी राधेलाल के बयान के अनुसार आरोपी टिल्लू के पास से थैले में रखे दो किलो सांभर के मांस के दो टुकडे तथा एक पैर का टुकडा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–2 तैयार किया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है । आरोपी राधेलाल, टिल्लू, धरम एवं शिवानंद को साक्षी सेवकराम, भरतलाल व पूरनलाल की उपस्थिति में गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी–6 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसने आरोपी राधेलाल, टिल्लू, धरम एवं शिवानंद को साक्षी भरतलाल, सेवकराम एवं पूरनलाल की उपस्थिति मे जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–7 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । आरोपी राधेलाल, टिल्लू,

9.1.15
(कृष्ण दास महार)

शिवानंद एवं धरम ने उसके समक्ष अपने इकबालिया बयान दिये थे जिसे वनरक्षक बिसेन द्वारा लेखबद्ध किया गया था जो प्रदर्श पी–8 लगायत प्रदर्श पी–11 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । आरोपी सुमरसिंह, धरम उर्फ भूरिया, बिसनसिंह, रामलाल, रूपचद, किशन एवं ज्ञानचंद ने उसके समक्ष अपने इकबालिया बयान दिये थे जिसे वनपाल शोभेलाल परिहार द्वारा लेखबद्ध किया गया था जो प्रदर्श पी–12ए, प्रदर्श पी–13ए लगायत प्रदर्श पी–18 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । आरोपीगण से जप्त कर सांभर के मांस को उसकी उपस्थिति में जलाकर नष्ट किया गया एव प्रदर्श पी–19 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । वन रक्षक भगवती शुक्ला ने अपने बयान लिखकर उसे प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श पी–20 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । टी.के. बिसेन वन रक्षक ने अपने बयान लिखकर उसे प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श पी–2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । गवाह भरतलाल ने उसके समक्ष एस.एल. परिहार को अपने बयान दिये थे जो प्रदर्श पी–12 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । गवाह बारेलाल ने उसके समक्ष एस.एल. परिहार को बयान दिया था जो प्रदर्श पी–21 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । गवाह सेवकराम ने उसके समक्ष एस.एल. परिहार को बयान दिया था जो प्रदर्श पी–13 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने दिनांक 22.04.2008 को आरोपी सुमनसिंह, धरम, बिसन, रामलाल, रूपचंद, किशन एवं ज्ञानचंद को साक्षी रामू और लक्ष्मण की उपस्थिति में तलाशी लेकर जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–23 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

10– प्रकरण में परिक्षीत साक्षी टी.के. बिसेन (प0सा0 1) एवं भगवतीप्रसाद (प0सा0 2) ने अपने कथनों में बताये हैं कि आरोपी राधेलाल से तीन किलो सांभर का मांस, लोहे का फरसा खून लगा हुआ जप्त कर मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 बनाया गया था तथा जप्ती प्रदर्श पी–3 के अनुसार बनायी गई थी । साक्षी भगवतीप्रसाद (प0सा0 2) ने बताया है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी–4 का पी.ओ.आर. जारी किया गया था । प्रकरण में परिक्षीत उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में न तो इस बात का आक्षेप लगाया गया है कि जप्तशुदा मांस सांभर का नहीं है एवं परिक्षीत साक्षी टी.के. बिसेन (प.सा. 1)

के प्रतिपरीक्षण मे ऐसे कोई तथ्य नही आये है जिससे इस बात का खण्डन हो कि आरोपी राधेलाल से उक्त मॉस की जप्ती न हुई हो । इस साक्षी के मुख्य परीक्षण का खण्डन प्रतिपरीक्षण मे नही हुआ है । इसी तरह साक्षी भगवतीप्रसाद (प0सा0 2) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 मे बताया है कि मौका पंचनामा घटनास्थल पर नही बनाया गया था तथा इस साक्षी के मुख्य परीक्षण मे किये गये कथन प्रतिपरीक्षण मे अखंडित है। प्रकरण मे संलग्न जप्तीपत्र प्रदर्श पी–5 के अनुसार आरोपी टिल्लू से दो किलो कटा हुआ मारा बाल सहित एवं एक पिछला पैर मॉस सहित जप्त किया गया था । इस संबंध मे साक्षी भगवतीप्रसाद (अ0सा0 2) ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 मे बताया है कि घटना के दूसरे दिन आरोपी राधेलाल को पकडकर ले गये थे तथा टिल्लू को दूसरे दिन पकडे थे तो टिल्लू ने ग्राम ओदा मे उक्त साभर का शिकार करना स्वीकार किया था तथा उसके द्वारा पेश करने पर कटा हुआ मास तथा साभर के पैर का मास जप्त किया गया था और जप्तीपत्र प्रदर्श पी–5 उसके द्वारा बनाया गया था इस साक्षी के कथनो की पुष्टि श्रवणलाल पटले (प0सा0 5) के द्वारा की गई है । इन साक्षियो के मुख्य परीक्षण मे दिये गये कथनों का प्रतिपरीक्षण मे खण्डन नही हुआ है । साक्षी भगवतीप्रसाद (प0सा0 3) के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 मे साक्षी से यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कार्यवाही एवं पी.ओ.आर. कार्यवाही मे समय का उल्लेख नही है लेकिन समय का उल्लेख न करने से घटना की विश्वसनीयता संदिग्ध नही मानी जा सकती ।

11– भरतलाल (प0सा0 03), सेवकराम (प0सा0 4) एवं बारेलाल (प0सा0 6) को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद भी इन साक्षियो ने घटना का समर्थन नही किये है । इन साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन न करने के बावजूद उक्त वन विभाग के कर्मचारी पुलिस अधिकारी नहीं है, उनके समक्ष जो जप्ती की कार्यवाही की गई है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

12– उपरोक्त साक्षी टी.के. बिसेन (प0सा0 1) एवं भगवतीप्रसाद (प0सा0 2) एवं श्रवणलाल पटले (प0सा0 5) के कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रमाणित है कि दिनांक 14.04.2008 को ओदा मे पुराने झुलना नाला के किनारे आरोपी राधेलाल से साभर का मॉस मय फरसा, कुल्हाडी के जप्त किया गया था तथा घटना के दूसरे दिन आरोपी टिल्लू से ग्राम ओदा मे साभर का पैर/मॉस सहित जप्त किया गया था ।

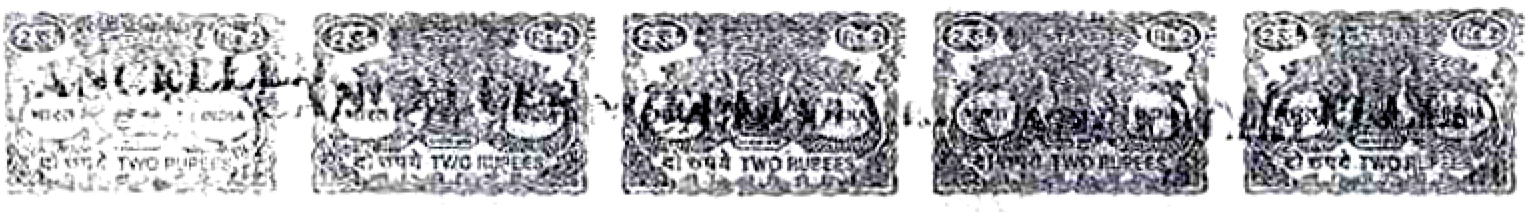

शेष आरोपीगण के संबंध मे वन्यप्राणी का शिकार किये जाने एवं वन्यप्राणी का मांस एवं उसके अवशेष रखे होने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । इस तरह यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी शिवानंद, धरम वल्द टेकसिंह, सुमेरसिंह, बिसन रामलाल, रूपचंद, किसनलाल एवं ज्ञानचंद ने घटना दिनांक रानी झुलना नाला वन परिक्षेत्र बालाघाट (सामान्य) के अन्तर्गत धनसुआ बीट मे वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट पशु मादा सांभर का अवैध रूप से शिकार कर मॉस को सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखे एवं उसे पकाकर खाये । फलतः आरोपी शिवानंद, धरम वल्द टेकसिंह, सुमेरसिंह, बिसन, रामलाल, रूपचंद, किसनलाल एवं ज्ञानचंद को धारा 9 एवं धारा 39(3) का उल्लघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है । लेकिन उपरोक्त साक्ष्य एवं विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आरोपी राधेलाल एवं टिल्लू ने दिनांक 14.04.2008 को शाम करीब 7.00 बजे वन कक्ष कमांक 154 रानी झुलना नाला वन परिक्षेत्र बालाघाट (सामान्य) के अन्तर्गत धनसुआ बीट मे वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट पशु मादा सांभर का अवैध रूप से शिकार किया तथा पशु सांभर जो कि शासकीय सम्पत्ति है, का मॉस सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखा एवं उसे पकाकर खाया । फलतः आरोपी राधेलाल वल्द बाबूलाल एवं टिल्लू वल्द सददू को धारा 9,39(3) का उल्लघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के आरोप मे दोषसिद्ध पाया जाता है । आरोपी राधेलाल एवं टिल्लू द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राधेलाल एवं टिल्लू को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानो का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

Sd/- 29.7.13
(कृष्णदास महार)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
बालाघाट

13— सजा के प्रश्न पर अभियुक्त राधेलाल एवं टिल्लू के विद्वान अभिभाषक श्री सुनील यादव को सुना गया । उन्होने अपने तर्क मे व्यक्त किया है कि आरोपी

Sd/- 29.7.13

राधेलाल एव टिल्लू के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नही है. उनका यह प्रथम अपराध है घटना सन 2008 की है एवं आरोपीगण को न्यूनतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है । डी0पी0ओ0 श्री बोंझल ने आरोपी राधेलाल एव टिल्लू को कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

14- प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण दिनांक 24.07.2008 से विचाराधीन है । आरोपी राधेलाल एव टिल्लू द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशु मादा साभर का अवैध रूप से शिकार कर साभर के मॉस को सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखे एवं उसे पकाकर खाये । साभर जो कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची दो के भाग दो का पशु है, जिसके मॉस को बिना अनुज्ञप्ति के आरोपी राधेलाल एव टिल्लू द्वारा अपने कब्जे में रखा गया था । आरोपी राधेलाल एवं टिल्लू द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है । आरोपी राधेलाल एव टिल्लू द्वारा कारित अपराध एव उसकी प्रकृति को देखते हुए आरोपी राधेलाल एव टिल्लू को धारा 9 एवं धारा 39(3) का उल्लघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के आरोप में कमशः तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000–10,000/–रूपये (दस–दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । आरोपी राधेलाल एवं टिल्लू द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर उसे पृथक से तीन–तीन माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जाता है ।

15- आरोपी राधेलाल एव टिल्लू इस प्रकरण मे दिनांक 16.04.2008 से दिनाक 07.07.2008 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है । अतः आरोपी आरोपी राधेलाल एव टिल्लू द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि उन्हें दी गई कारावास की सजा से मुजरा की जावे ।

16- आरोपी राधेलाल एवं टिल्लू द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में अन्तर्गत धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे एवं उपरोक्तानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे ।

17- प्रकरण मे जप्तशुदा मांस को उपवनमण्डल अधिकारी बालाघाट के समक्ष पचनामा प्रदर्श पी–19 के द्वारा नष्ट किया जा चुका है तथा प्रकरण मे जप्तशुदा एक फरसा एव एक कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरात नष्ट की जावे । प्रकरण में अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

Sd/-
{कृष्णदास महार}
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
बालाघाट
29.01.2015

Sd/-
{कृष्णदास महार}
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
बालाघाट

सत्यप्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
दिनांक 7-2-15

प्रतिलिपि आवेदन पत्र क्रमांक 515/15
आवेदन पत्र प्रस्तुति की दिनांक 2-2-15
आवेदक को उपस्थिति हेतु दी गई दिनांक 5-2-15
आवेदक के ... 7-2-15
आवेदन पत्र ...
अभिलेखागार ... 2-2-15
आवेदन पत्र ...
और की या ...
होने की दिनांक 7-2-15
... दिनांक 7-2-15
आवेदक ...
... 7-2-15
... 7-2-15
प्रतिलिपि ...
वसूल की गई न्याय शुल्क 50/-

प्रतिलिपिकार   प्रतिलिपिकर्ता   मुख्य प्रतिलिपिक

न्यायालय –मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बालाघाट म0प्र0
(पीठासीन अधिकारी–कृष्णदास महार)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1597/2008
संस्थित दिनांक 16.09.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
वनपरिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट (सा.)
जिला–बालाघाट———————————— **अभियोजन**

......../ / विरूद्ध / /........

1– चिमनलाल उर्फ चैनलाल वल्द प्रेमलाल, उम्र 50 वर्ष,जाति परधान, साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
2– झनकार उर्फ झनक वल्द चैनलाल, उम्र 19 वर्ष, जाति परधान, साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
3– मधु उर्फ सेहतलाल वल्द दुन्नू उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
4– जियालाल उर्फ टोया वल्द रामचरण, जाति लोधी, साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
5– रूमनलाल उर्फ गुड्डू वल्द रामचरण, उम्र 19 वर्ष, जाति लोधी, साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
6– फुलचंद वल्द सुखलाल उम्र 40 वर्ष, साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
7– रामचरण वल्द सुखलाल, उम्र 50 वर्ष, जाति लोधी, साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
8– मुका उर्फ सुखराम वल्द श्रीलाल, उम्र 30 वर्ष, जाति मरार, साकिन रट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट ।
9– जीवनलाल वल्द सूबेलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम बगदरा, थाना ग्रामीण नवेगॉव, जिला बालाघाट ।
10– तेजलाल उर्फ तीजू वल्द बालचंद, उम्र 36 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम बगदरा, थाना ग्रामीण नवेगॉव, जिला बालाघाट .... **अभियुक्तगण**

———/ / निर्णय / /———
(आज दिनांक 29–01–2015 को घोषित)

1– आरोपीगण के विरूद्ध धारा 9(3) का उल्लंघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है कि दिनांक 10.12.2007 को रात्रि करीब 10–11 बजे वन परिक्षेत्र बालाघाट सामान्य अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र रट्टा

फुटक्या तालाब में संरक्षित वन्यप्राणी साभर (नर) को बिजली का करेंट लगाकर अवैध रूप से शिकार किया एवं सांभर का मांस बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखा एवं उसे पकाकर खाया ।

2— संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि आरोपीगण ने ग्राम रट्टा मे दिनांक 10.12.2007 को लगभग 7—8 बजे शाम को बिजली लाईन से तार बिछाकर लगभग 10—11 बजे एक नर सांभर को बिजली करंट द्वारा एवं कुल्हाड़ी तथा छुरी की सहायता से काट—कांटकर आपस में बंटयारा करने एवं मॉस को बेचने की सूचना प्राप्त होते ही वन रक्षक डी.सी. राहंगडाले रट्टा बीट प्रभारी मय स्टाफ के साथ घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण कर घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया एवं मौके पर अपराध में प्रयुक्त जी.आई. तार दो फीट लम्बा टुकडा एव वन्य प्राणी सांभर के कुछ बाल घटनास्थल से जप्त कर वन अपराध प्रकरण कमांक 116/2880 दिनांक 10.12. 2007 पंजीबद्ध किया गया । आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने पर आरोपीगण ने वन्यप्राणी सांभर को मारने का अपराध कबूल किया । घटना से संबंधित सम्पूर्ण विवेचना की कार्यवाही किये जाने के उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 के तहत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

3— आरोपीगण को धारा 9,39(3) का उल्लंघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध किया जाना अस्वीकार किया । धारा 313 द.प्र.स. के अन्तर्गत अभियुक्तों का परीक्षण किया गया ।

4— मेरे समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि :—

1— क्या आरोपीगण ने दिनांक 10.12.2007 को रात्रि करीब 10—11 बजे वन परिक्षेत्र बालाघाट सामान्य अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र रट्टा फुटक्या तालाब मे संरक्षित वन्यप्राणी सांभर (नर) को बिजली का करेंट लगाकर अवैध रूप से शिकार किया ?

2— क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सांभर का मांस बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखा एवं उसे पकाकर खाया ?

——// निष्कर्ष एवं उनके आधार //——

5— देवचंद राहंगडाले (प0सा0 1) ने अपनी साक्ष्य मे बताया है कि वह आरोपी चिमनलाल, इश्वकार, मधु, जियालाल, हुमनलाल, फुलचंद, रामचरण, मुक्का,

24-1-15

ओदनलाल, तेजलाल, को जानता है । वह दिनांक 10.12.2007 को रट्टा बीट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को परिक्षेत्र अधिकारी सी.एल. धूमन एवं रट्टा के पुलिस पटेल दिगम्बरलाल कटरे, जानूसिंह, रामचरण दमाहे के साथ एवं स्टाफ के साथ फुटक्या तालाब के पास गया था । निरीक्षण करने पर तालाब के पास घसीटने के निशान थे और साभर के कुछ बाल और तार के टुकड़े पड़े हुए थे जिससे अनुमान लगाया गया कि वन्यप्राणी को करेंट लगाकर मारा गया है । घटना करीबन चार दिन पहले की प्रतीत हो रही थी । उनके कक्ष कमांक 671बी से ओदा बीट की दूरी लगभग 200 मीटर की है । उसके द्वारा मौके का पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी–1 है जिसपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । दिनांक 10.12.07 को पी.ओ. आर. कमांक 116/2880 साक्षी जानूसिंह व रामचरण के सक्षम तैयार किया गया था जो प्रर्श पी–2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उक्त दिनांक को उसके द्वारा जप्तीनामा प्रदर्श पी–3 तैयार किया गया था । घटनास्थल से साभर के बाल एवं तार के टुकडे जप्त किए गए थे तथा जप्तीनामा पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । दिनांक 20.12.07 को सर्च वारंट प्राप्त होने पर आरोपी चिमनलाल के घर की तलाशी ली गई थी । सर्च वारंट प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । आरोपी चिमनलाल के घर से साभर के दो सींग जिसकी लम्बाई 60x11 से.मी. व 55x11 से.मी. थी तथा 9 बण्डल जी.आई. तार वजनी करीब डेढ किलो था गवाह दिगम्बर व महेश के समक्ष आरोपी चिमनलाल से जप्त किया गया था । जप्तीनामा प्रदर्श पी–5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके व बी से बी भाग पर आरोपी चिमनलाल के हस्ताक्षर है । आरोपी चिमनलाल पर सर्च वारंट की तामीली की गई थी । दिनाक 21.02.07 को आरोपी जियालाल उर्फ टोया वल्द रामचरण पर सर्च वारंट की तामीली की गई थी, सर्च वारण्ट प्रदर्श पी–6 है जिसके ए से ए भाग पर आरोपी रामचरण के हस्ताक्षर है । तलाशी में उसके घर से एक कुल्हाडी एवं छुरी उसके द्वारा पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके व बी से बी भाग पर आरोपी जियालाल के हस्ताक्षर हैं । उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफतार किया गया था । आरोपी जीवनलाल ने दिनांक 31.12.07 को ग्राम रट्टा में यह बताया था कि आरोपीगण के द्वारा साभर के मांस को 50/–रुपये

(कृष्णा दास महार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालाघाट

प्रतिकिलो की दर से गांव के लोगों को बेचा गया था । आरोपी फुलचंद द्वारा ग्राम बगदरा लाकर तीजूलाल के यहाँ रखकर बेचा गया था । उसके समक्ष आरोपीगण के बयान लिखे गये थे । उसके द्वारा स्वयं के बयान लेख किए गए थे जो प्रदर्श पी–8 एवं प्रदर्श पी–9 है जिनपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसके समक्ष आरोपी रामचरण से कुल्हाडी व छुरी जप्त कर उसका पंचनामा बनाया गया था जो प्रदर्श पी–10 है जिसपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसके समक्ष आरोपी रामचरण के मकान की तलाशी लेने के पूर्व उसने अपनी तलाशी दिए थे तथा तलाशी पूर्व पंचनामा बनाया गया था जो प्रदर्श पी–11 है जिपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसके समक्ष मकान में प्रवेश करने एवं मकान से बाहर आने का पंचनामा तैयार किया गया था ।

6– सी.एल. ढोमने (प0सा0 2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है । दिनांक 10.12.07 को डिप्टी रेंजर के पद पर बोरी बीट में पदस्थ था । उक्त दिनांक को हमराह स्टाफ के साथ एवं साक्षी जानूसिंह व रामचरण के साथ स्थाई पुलिस पटेल के साथ निरीक्षण हेतु स्थानीय तालाब फुटक्या तालाब गये थे । निरीक्षण के दौरान तालाब के पास घसीटने के निशान थे एवं उस स्थान पर सांभर के बाल एवं जी.आर. तार के टुकडे पाये गये थे जिससे अनुमान लगाया गया कि घटना करीब चार दिन पूर्व की है । घटना वन कक्ष कमांक 671–बी की ओदा बीट से 200 मीटर दूरी की थी । उसके समक्ष मौके का पंचनामा प्रदर्श पी–1 तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसके अधीनस्थ कर्मचारी बीटगार्ड रहांगडाले द्वारा जप्ती मेमो एवं पी.ओ.आर. की कार्यवाही की गई थी । उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफतार किया गया था । उसके समक्ष मकान में प्रवेश करने एवं बाहर आने संबंधी पंचनामा कार्यवाही भी की गई थी । उसके समक्ष आरोपीगण एवं साक्षियों के बयान लिये गये थे । सर्च वारण्ट के आधार पर आरोपी चिमनलाल एवं रामचरण के घर छुरी जप्त की गई थी । उक्त घटना कारित करने में आरोपी रामचरण लोधी के लड़के आरोपी जियालाल व उमनलाल भी शामिल होना पाये गये थे । उसने अपने बयान लेखबद्ध किये थे जो प्रदर्श पी–12 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसके समक्ष चिमनलाल से सांभर के सींग एवं जी.आई. तार के बण्डल जप्त किये

Sd/- 24-3-15

गया था । उसके समक्ष देवचरण बीटगार्ड के बयान दर्ज किये गये थे जो प्रदर्श पी–8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

7– महेश कुमार (प0सा0 3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है । घटना सन् 2008 की ग्राम रट्टा के दादूटोला के पास की है । उसके सामने कोई सामान आरोपी चिमनलाल से जप्त नही किया गया था तथा जियालाल से भी कोई सामान जप्त नहीं किया गया था । जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–5 एवं प्रदर्श पी–7 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

8– एन.एस. बघेल (प0सा0 4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिसम्बर 2007 में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल बालाघाट में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था । उसके अधीन पदस्थ वन रक्षक डी.सी. राहंगडाले ने वन अपराध कमांक 116/2880 साभर के शिकार का प्रकरण दर्ज किया जिसकी अग्रिम विवेचना उसके द्वारा की गई थी । वह दिनांक 20.12.07 को आरोपी चिमनलाल के तलाश का सर्च वारण्ट प्रदर्श पी–4 लेकर ग्राम रट्टा गया था जहॉं उसे आरोपी चिमनलाल मिला था जिसके घर से उसे सांभर के सींग मिले थे जिसे उसने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–13 तैयार किया था जिस पर आरोपी जियालाल, मुका उर्फ सुकराम, मधु, झनकार उर्फ झनक, हुमनलाल को भी गिरफ्तार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसने दिनांक 20.12.07 को आरोपी चिमनलाल के घर के सर्च के दौरान तीन सींग साभर के, सांभर के दो सींग और करेंट लगाने का वायर प्राप्त हुआ था जिसे वन रक्षक देवचंद द्वारा जप्त कर जप्तीपत्र प्रदर्श पी–5 की कार्यवाही की गई थी । दिनांक 21.12.07 को वह प्रदर्श पी–6 का सर्च वारण्ट लेकर आरोपी रामचरण के घर गया था जहॉं उसे तलाश के दौरान एक कुल्हाडी और एक छुरी प्राप्त हुई थी जिसका जप्ती पत्र वन रक्षक देवचंद द्वारा आरोपी जियालाल की ओर से तैयार किया गया था । उसने पंचनामा प्रदर्श पी–11 गवाह अशोक, भुवन और देवचंद के समक्ष तैयार किया था जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है । विवेचना के दौरान आरोपी चिमनलाल, जियालाल, मुका उर्फ सुखराम, मधु उर्फ सोहनलाल, झनकार उर्फ झनक एवं चिमनलाल के कथन गवाह डीगेन एवं महेश कुमार के समक्ष उनके बताये अनुसार लेख किये जो प्रदर्श पी–14, 15, 16, 17, 18 एव 19 है जिनके कमशः ए से ए

9.1.15

(कृष्ण दास महार)

[illegible]

बालाघाट

एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है । उसने गवाह महेश का कथन प्रदर्श पी–20 एवं डीगन का कथन प्रदर्श पी–21 लेख किया था जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । आरोपी चिमनलाल के घर पर तलाशी के दौरान उसने महेश, मानिक, डोमन, महेश एवं जयचंद के समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी–22 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसने घटनास्थल फुटक्या तालाब के पास घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी–30 वन रक्षक एवं गवाहो के बतलाये अनुसार तैयार किया था जो प्रदर्श पी–23 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसने अपने अनुसंधान के दौरान गवाह सी.सल, ढोमने का कथन प्रदर्श पी–12, देवचंद का कथन प्रदर्श पी–9 लेख किया था, जिनके क्रमशः ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने दिनांक 21.12.07 को आरोपी जियालाल के कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था जो प्रदर्श पी–24 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उससे पूछताछ पर आरोपी चिमनलाल, डानकलाल, जियालाल, रूमनलाल, मुका और मधु ने यह बताया था कि उन्होंने फुटक्या तालाब के पास करेंट बिछाकर सांभर का शिकार किया है । उसने गवाह राजेश के कथन प्रदर्श पी–25, आरू के कथन प्रदर्श पी–26, कृष्ण कुमार के कथन प्रदर्श पी–27, सुरेश के कथन प्रदर्श पी–28, दाण्डीराम के कथन प्रदर्श पी–29, मुन्ना के कथन प्रदर्श पी–30, शंकर के कथन प्रदर्श पी–31, धनलाल के कथन प्रदर्श पी–32, मनमोद के कथन प्रदर्श पी–33, उमाशंकर के कथन प्रदर्श पी–34, प्रकाश के कथन प्रदर्श पी–35, नेमधारी के कथन प्रदर्श पी–36, दयाल के कथन प्रदर्श पी–37, प्रेम के कथन प्रदर्श पी–38 उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था । उसने दिनांक 31.12.07 को आरोपी जीवन, तेजलाल एवं फुलचंद के कथन गवाह रामचंद एवं जयचंद के समक्ष उनके बताये अनुसार लेख किया था जो प्रदर्श पी–39 एवं प्रदर्श पी–40, 41 है जिनके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । आरोपियों ने उसे बताया था कि ग्राम बगदरा में इन व्यक्तियों ने सांभर का मांस 50/–रूपये किलो विक्रय किया है । आरोपी तेजलाल, फुलचंद एवं जीवनलाल को उसने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–42 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । दिनांक 27.03.08 को आरोपी रामचरण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–43 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर

Sd/- 24.1.13

है । उसने पूछताछ पर आरोपी रामचरण का कथन प्रदर्श पी–44 लेख किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अपनी विवेचना में पाया था कि आरोपीगण ने धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध किया है ।

9– देवचंद रहागडाले (प0सा0 1) ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में बताया है कि निरीक्षण करने पर तालाब के पास घसीटने के निशान थे और सांभर के कुछ बाल और तार के टुकड़े पड़े हुए थे जिससे अनुमान लगाया गया कि वन्यप्राणी को करंट लगाकर मारा गया है । मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 मे बताया है कि आरोपी चिमनलाल के घर से सांभर के दो सींग जिसकी लम्बाई 60X11 से.मी. एवं 55X11 से.मी. थी तथा 9 बण्डल जी.आई. तार वजनी करीब डेढ किलो जप्त कर जप्तीपत्र प्रदर्श पी–5 बनाया गया था । आरोपी जीवनलाल ने दिनांक 31.12.07 को ग्राम रट्टा में यह बताया था कि आरोपीगणों के द्वारा सांभर के मांस को 50/–रूपये प्रतिकिलो की दर से गाँव के लोगों को बेचा गया था । इस साक्षी का कथन है कि उसके समक्ष आरोपी रामचरण से कुल्हाडी व छुरी जप्त कर उसका पंचनामा बनाया गया था । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में बताया है कि चिमनलाल के घर से सींग व तार जप्त किये गये थे । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में इस साक्षी ने बताया है कि जियालाल के घर से क्या प्राप्त हुआ वह नही बता सकता । जियालाल के घर से हंसिया एवं कुल्हाड़ी की जप्ती की गई थी । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में बताया है कि जियालाल के मकान में उसके साथ उसका भाई बीबी एवं बच्चे भी रहते हैं । यह भी स्वीकार किया है कि चिमनलाल और जियालाल अपने परिवार सहित जिस मकान में रहते हैं वहाँ उनके दल द्वारा सर्च वारंट के आधार पर तलाशी लेकर वस्तुओं की जप्ती आदि की कार्यवाही की गई थी उन मकानों के मालिक चिमनलाल व जियालाल है या नहीं वह नहीं बता सकता ।

10– सी.एल. ढोमने (प0सा0 2) ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में बताया है कि आरोपी चिमनलाल और रामचरण के घर की तलाशी ली गई थी जिसमे रामचरण के घर से एक कुल्हाडी एवं छुरी जप्त की गई थी । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 मे बताया है कि जप्त किये गये बाल को परीक्षण हेतु किसी लेबोटरी में नही भिजवाया गया था । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 मे बताया है कि चिमनलाल से सींग व जी.आई.

(कृष्णा दास महार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालाघाट

तार की जप्ती जरिये सर्च वारंट से की गई थी । जिस समय सामान जप्त किया गया था उस समय आरोपी चिमनलाल मौजूद था तथा वह भी वहीं उपस्थित था । चिमनलाल के घर के पाटन से सींग और जी.आई. तार जप्त हुए थे । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 मे बताया है कि उन्होंने आरोपी चिमनलाल के मकान की मालकियत के संबंध मे कोई कागजात नही देखे थे और न ही जप्त कर प्रकरण में पेश किये हैं । प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 मे बताया है कि जियालाल द्वारा अपने घर के अंदर से लाकर पेश करने पर कुल्हाडी व हंसिया की जप्ती की गई थी तथा आरोपी जियालाल ने उक्त सामान बघेल रेंजर को दिया था और जप्ती उसके समक्ष की गई थी । महेश कुमार (प0सा0 4) ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है ।

11— एन.एस. बघेल (प0सा0 4) ने बताया है कि आरोपी चिमनलाल के घर के सर्च के दौरान पांच सींग सांभर के और करेंट लगाने का वायर वन रक्षक देवचंद द्वारा उसके समक्ष जप्त किया गया था तथा आरोपी रामचरण के घर की तलाशी लिये जाने के दौरान एक कुल्हाडी और एक छुरी प्राप्त हुई थी । प्रतिपरीक्षण की कडिका 7 मे बताया है कि आरोपी जीवन, तेजलाल एवं फुलचंद ने उसे यह बताया था कि ग्राम बगदरा में सांभर का मॉस 50/—रूपये किलो मे विक्रय किये है तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 मे यह स्वीकार किया है कि आरोपी तेजलाल एवं जीवन से किसी भी वन्यप्राणी का मॉस जप्त नही किया गया था तथा विवेचना के दौरान ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं जिससे उनके द्वारा अवैध रूप से वन्यप्राणी का शिकार किया गया हो या शिकार मे सहयोग किया गया हो ।

12— प्रकरण में प्रदर्श पी—1 मौके का पंचनामा है जहॉ से सांभर के बाल व तार के टुकडे जप्त किये गये थे एवं जप्ती घटनास्थल से की गई थी, किसी व्यक्ति से नहीं की गई थी । प्रकरण मे परिक्षीत साक्षियों ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रदर्श पी—5 की जप्ती अनुसार आरोपी चिमनलाल के घर से सांभर के सींग तथा 9 बण्डल तार के जप्त किये गये थे । आरोपी जियालाल से कुल्हाडी एवं छुरी की जप्ती करना बताया गया है । चूंकि कुल्हाडी एवं छुरी जप्त कर लेने से उक्त आरोपियो की संलिप्तता पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में नहीं होती है । प्रकरण मे आरोपीगण द्वारा शिकार करने के संबंध मे कोई साक्ष्य नहीं है । इस तरह प्रकरण मे आरोपी चिमनलाल

[illegible] पी-5 के अनुसार साभर के सींग एव जी.आई. तार जप्त किये गये थे । साभर के सींग के संबध मे बचाव पक्ष की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गई थी कि जहां से जप्ती की गई थी वह स्थान चिमनलाल का नहीं है । अन्य कोई साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही की गई है । इस तरह उपरोक्त साक्ष्य एवं विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आरोपी चिमनलाल द्वारा घटना दिनांक 10.12.2007 को वन परिक्षेत्र बालाघाट सामान्य अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र रट्टा में संरक्षित वन्यप्राणी साभर के सींग को बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखा । शेष आरोपीगण के विरूद्ध वन्यप्राणी सांभर का शिकार करने एवं उसका मॉस अपने कब्जे में बिना अनुज्ञप्ति के रखने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । अपराधियों के इकबालिया बयान जो कि पूछताछ के बाद हुए है की पुष्टि कहीं नही हुई है । ऐसी स्थिति मे अन्य आरोपीगण के विरूद्ध सहआरोपी चिमनलाल के बयान के आधार पर दोषसिद्धि नही की जा सकती । जहॉ तक कुल्हाड़ी व छुरी आरोपी जियालाल से जप्त करने का सवाल है उसमें कोई शिकार के तथ्य मौजूद हो ऐसी साक्ष्य नहीं है तथा सामान्यतः उक्त बरामद कुल्हाड़ी अपने घरेलू काम के लिए आमतौर पर लोग घरों मे रखते हैं ।

13— उपरोक्त साक्ष्य एवं विवेचना के आधार पर शंका से परे यह प्रमाणित नही होता है कि आरोपी झनकार उर्फ झनक, मधु उर्फ सेहतलाल, जियालाल उर्फ टोया, रूमनलाल उर्फ गुड्डू, फुलचंद, रामचरण, मुका उर्फ सुखराम, जीवनलाल एव तेजलाल उर्फ तीजू ने दिनांक 10.12.2007 को रात्रि करीब 10—11 बजे वन परिक्षेत्र बालाघाट सामान्य अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र रट्टा फुटक्या तालाब मे संरक्षित वन्यप्राणी साभर (नर) को बिजली का करेंट लगाकर अवैध रूप से शिकार किया एवं सांभर का मांस बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने कब्जे मे रखा एव उसे पकाकर खाया हो । फलतः आरोपी झनकार उर्फ झनक, मधु उर्फ सेहतलाल, जियालाल उर्फ टोया, रूमनलाल उर्फ गुड्डू, फुलचंद, रामचरण, मुका उर्फ सुखराम, जीवनलाल एव तेजलाल उर्फ तीजू को धारा 9,39(3) का उल्लंघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल के विरूद्ध शिकार किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न होने

से उसे धारा 9 वन्यप्राणी सरक्षण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

14— जहाँ तक आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल के विरूद्ध शिकार किया जाने की साक्ष्य न होने के बावजूद भी आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल के आधिपत्य से वन विभाग के कर्मचारियो द्वारा साभर के सींग एवं जी.आई. तार जप्त किये गये थे जिनकी पुष्टि उपरोक्त साक्षियो के कथनों से होती है । फलतः आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल को धारा 39(3) का उल्लघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के आरोप मे दोषसिद्ध पाया जाता है । आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा कारित अपराध गभीर प्रकृति का है। अपराध की गभीरता को देखते हुए आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

Sd/-
(कृष्णदास महार)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
बालाघाट

15— सजा के प्रश्न पर अभियुक्त चिमनलाल उर्फ चैनलाल के विद्वान अभिभाषक श्री टी.के जंघेले को सुना गया । उन्होंने अपने तर्क में व्यक्त किया है कि आरोपी चिममलाल उर्फ चैनलाल के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है, उसका यह प्रथम अपराध है, घटना वर्ष 2008 की है एवं आरोपी को न्यूनतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है । डी0पी0ओ0 श्री बोंझल ने आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल को कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है ।

16— प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण दिनांक 16.09.2008 से विचाराधीन है । आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा वन्यप्राणी सांभर के सींग को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में रखा गया था । साभर जो कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची तीन के भाग दो का पशु है, जिसके सींग को बिना अनुज्ञप्ति के आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा अपने कब्जे मे रखा गया था । आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा कारित अपराध गभीर प्रकृति का है । आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा कारित अपराध एव उसकी प्रकृति को देखते हुए आरोपी

Sd/- 29.1.15
(कृष्णदास महार)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
बालाघाट

चिमनलाल उर्फ चैनलाल को धारा 39(3) का उल्लंघन होकर धारा 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/-रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर उसे पृथक से तीन माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जाता है ।

17- आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल इस प्रकरण मे दिनांक 21-12-2007 से दिनांक 10-01-2008 एवं दिनांक 30-10-2014 से 07-11-2014 तक न्यायिक अभिरक्षा मे रहा है । अतः आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा न्यायिक अभिरक्षा मे बितायी गई अवधि उसे दी गई कारावास की सजा से मुजरा की जावे ।

18- आरोपी चिमनलाल उर्फ चैनलाल द्वारा न्यायिक अभिरक्षा मे बिताई गई अवधि के संबंध मे अन्तर्गत धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे एवं उपरोक्तानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे ।

19- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति सांभर के सींग वनपरिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट (सा.) को अपील अवधि उपरांत विधिवत निराकरण हेतु भेजी जावे तथा शेष जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे । प्रकरण में अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

Sd/-

{कृष्णदास महार}
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
बालाघाट
29.01.2015

मेरे निर्देश पर टंकित।

Sd/-

{कृष्णदास महार}
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
बालाघाट

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
बालाघाट
दिनांक 6/2/15

प्रतिलिपिकार

69

प्रतिलिपि आवेदन पत्र क्रमांक............ 514/15

आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक.......... 2-2-15

आवेदक को उपस्थिति हेतु दी गई दिनांक.......... 5-2-15

आवेदक के उपस्थित होने की दिनांक.......... 6-2-15

आवेदन पत्र (और [illegible] सहित)

अभिलेखागार को [illegible].......... 2-2-15

आवेदन पत्र [illegible] के साथ या

और [illegible] अभिलेख को प्राप्त

होने की दिनांक.......... 4-2-15

आवेदक को [illegible] की सूचना की

दिनांक..........

आवेदक को [illegible] देने की

दिनांक.......... 6-2-15

स्तम्भ (6) या (7) की सूचना [illegible] का दिनांक.......... 6-2-15

प्रतिलिपि तैयारी की दिनांक.......... 8-2-15

प्रतिलिपि देने या भेजने की दिनांक..........

वसूल की गई न्याय शुल्क.......... 55/-

6-2-15

प्रतिलिपिकर्ता   मुख्य प्रतिलिपिक